PWD2-BUD/ANBU/46/2023-III-2-Public Works Department

/151947/2023

13/09/23
CE(P)/AAO

ई० फाईल संख्या-58555

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि०

SSO(P-I)/SE NH

CE(P)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर,2023

विषय: वित्तीय वर्ष **2023-24** में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अंतर्गत **09** निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणनों) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा निम्नलिखित तालिका में वर्णित कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 8.460 कि०मी० एवं लागत ₹398.94 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹398.94 लाख (₹ तीन करोड़ अठानब्बे लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 09 कार्यों हेतु ₹ 0.90 लाख (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम देवपुर कुडि़या में कुन्दन सिंह चिलवाल पुत्र धर्म सिंह चिलवाल आदि तक एवं छोटी रामडी में गणेश दत्त पाण्डे, जगदीश सिंह राठौर आदि की सड़क तक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.500	37.94	0.10
2	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के मीठाआंवला में मुख्य मार्ग एवं पुष्प विहार, घुनी नं01 निकट बागनाथ विहार,में जय मां मलिका हार्डवेयर दुकान से श्री नवीन जगदीश सिंह राठौर आदि की सड़क तक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण/डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.920	44.72	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी	0.650	48.55	0.10

	के ग्राम कमलुवागांजा मेहता ग्राम बच्चीनगर 2 में मुख्य मार्ग से रविन्द्र विहार के घर तक एवं घुनी नं01 में एस0के0 टाउनशिप वाली सड़क तक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।			
4	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के नाथुपुर पाडली में प्रा0 विद्यालय के पीछे सड़क ग्राम पीपलपोखरा नं0 1 में मां भगवती कालोनी में जगदीश शर्मा, मोहन शर्मा के घर तक एवं ग्राम पीपलपोखरा नं01 हिमदर्शन के बगल वाली गली के आन्तरिक मार्गों का पी0सी0द्वारा नवनिर्माण/ डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.920	50.62	0.10
5	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम धनपुरी में पोस्ट ऑफिस के सामने मंगल कालोनी एवं ग्राम आनन्दपुर में बिष्ट कालोनी के मार्ग का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.600	43.71	0.10
6	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र - कालाढुंगी के ग्राम धनपुरी में हर्ष सिंह, हयात सिंह, फुलचौड़ मार्ग में किशन सिंह दरम्वाल आदि के मार्गों का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.645	30.29	0.10
7	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम देवलचौड़ बन्दोबस्ती , कालीपुर मार्ग से पूर्णगिरी विहार, उत्तम कालोनी एवं फुलचौड़ मार्ग से नारायणी पाठक के घर तक पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.525	26.01	0.10
8	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम देवीपुरा हरिपुर विजयपुर लिंक मार्ग से हरपाल सिंह के घर तक के मार्ग का पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण/डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	3.00	60.75	0.10

9	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम पुरनपुर में डेरी से मोहन सिंह कुमरिया के घर तक, ग्राम पुरनपुर में भवान सिंह धड़ा में लोकमणी पाण्डे आदि के घर तक एवं ग्राम विदरामपुर के गोलू गांव तक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.700	56.35	0.10
	योग-	**8.460**	**398.94**	**0.90**

(₹नब्बे हजार मात्र)

3- उक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

i. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

iv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

v. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

vi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

ix. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया

जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/149474 /2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 05-09-2023 18:34:42

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि.,नैनीताल ।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,हल्द्वानी ।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/151947/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23090220019
आवंटन पत्र दिनांक-12-SEP-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	5040000	90000	0	5130000
योग	5040000	90000	0	5130000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
E-mail: eicpwduk@nic.in
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक– 1086 / 20 याता0'क' / 2023 दिनांक– 26 .09.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून